# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 78/2011 G.C.M.S. No. 2011/00095 दर्ज दिनांक : 11.11.2011**

**अपीलार्थिगण:**

मृतक उंकार पुत्र विसराम जी कायम मुकाम :–

1/1 भंवरलाल पुत्र स्वर्गीय श्री उंकार जी, जाति भाट, निवासी अमर इन्द्रा नगर वागडिया रोड पाली, जिला पाली।

1/2 नेनु पुत्री उंकारजी (पत्नी नारायणजी) जाति भाट, निवासी अमर इन्द्रा नगर वागडिया रोड पाली, जिला पाली।

1/3 लक्ष्मी पुत्री उंकारजी (पत्नी घीसारामजी) जाति भाट, निवासी जेतपुर, तहसील रोहट, जिला पाली।

1/4 रेखा पुत्री उंकारजी (पत्नी रमेशजी) जाति भाट, निवासी राजपुरा, जिला सिरोही।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

मृतक थानाराम पुत्र अन्नजी जाति मेणा, निवासी मुरडिया, तहसील रोहट, जिला पाली जरिये कायम मुकाम:–

1/1 मृत मोहन पुत्र श्री थानाराम जी मेणा के कायम मुकाम:–

1/1/1 दलूडी पुत्र श्री मोहनजी

1/1/2 जेठाराम पुत्र श्री मोहनजी

1/1/3 कुकी पुत्री मोहनजी

1/2 शंकरीया पुत्र थानारामजी

1/3 मंगीया पुत्र थानारामजी

1/4 बचकुडी पुत्री थानारामजी

1/5 पानकी पुत्री थानारामजी

1/6 भंवरिया पुत्र थानारामजी तमाम जातिगण मीणा, निवासीगण मुरडीया, तहसील रोहट, जिला पाली।

2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2010 बअनवान ओंकार बनाम थानाराम के कायम मुकाम मोहन वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2011**

**उपस्थित:–**

1. श्री राजेन्द्र मेवाड़ा विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट संख्या 2 एवं शेष रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक: 27.03.2025**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2010 बअनवान ओंकार बनाम थानाराम के कायम मुकाम मोहन वगैरह में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थी ने रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध धारा 183, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर ग्राम मुरडिया, तहसील रोहट के खसरा नम्बर 18 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा बारानी सोयम का अपीलार्थी को खातेदार घोषित करने, रेस्पोंडेंट्स संख्या 1/1 लगायत 1/6 की वादग्रस्त भूमि से बेदखली एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री जारी की गई हैं। जोकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। ग्राम मुरडिया तहसील रोहट (पूर्व तहसील पाली) के खसरा 18 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा बारानी सोयम स्थित है। वादग्रस्त भूमि का सन् 1984 में अपीलार्थी को आंबटन किया गया व आवंटित भूमि का आंबटन के समय मौके पर कब्जा पटवारी ने अपीलार्थी को सुपुर्द किया और इस आवंटन का अमल दरामद म्यूटेशन नम्बर 121 द्वारा जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में किया गया व अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार दर्ज किया गया। त्वरित संदर्भ के लिये जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रति पेश है। वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करवाने हेतु मृत प्रतिवादी थानाराम ने अपीलार्थी के विरूद्ध योग्य जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय में राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियम के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जो मुकदमा नम्बर 220/91 के रूप में दर्ज हुआ। परन्तु उस मुकदमे के नोटिस की विधि अनुसार अपीलार्थी पर तामिल करवाये बिना एक पक्षीय आदेश दिनांक 08.07.1992 द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन (अपीलार्थी को किया गया आवंटन) निरस्त करवा दिया और उस आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि म्यूटेशन नम्बर 182 के तहत सिवाय चक दर्ज कर दी गयी। जैसाकि जमाबंदी संख्या 2046 से 2049 पर पटवारी के पृष्ठाकंन से प्रकट है। कलेक्टर महोदय पाली का उपर वर्णित फैसला अनुसार वादग्रस्त भूमि सिवाय चक दर्ज होने के बाद मृत प्रतिवादी थानाराम ने वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर अपीलार्थी को बेदखल कर दिया। अपीलार्थी ने योग्य जिला कलेक्टर पाली द्वारा मुकदमा नम्बर 220/91 में पारित आदेश दिनांक 08.07.1992 के विरूद्ध अपीलार्थी ने इस आदरणीय न्यायालय में अपील संख्या 71/93 अपीलार्थी ऊंकार बनाम रेस्पोंडेण्ट थानाराम वगैरह पेश की, जो अपील इस आदरणीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.04.1994 द्वारा स्वीकार कर योग्य जिला कलेक्टर का आदेश दिनांक 08.07.1992 निरस्त कर मुकदमा योग्य जिला कलेक्टर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलाण्ट (अपीलार्थी ऊंकार) को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तत्पश्चात् रेस्पोंडेण्ट थानाराम का उक्त प्रार्थना पत्र योग्य जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टर पाली के न्यायालय में ट्रांस्फर कर दिया गया जो योग्य अतिरिक्त कलेक्टर, पाली के न्यायालय में मुकदमा नम्बर 49/94 थानाराम बनाम ऊंकार दर्ज हुआ और योग्य अतिरिक्त कलेक्टर पाली ने अपने आदेश दिनांक 22.12.1994 द्वारा थानाराम (मृत रेस्पोंडेण्ट थानाराम) का प्रार्थना पत्र खारिज किया व इस तरह वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखा। त्वरित संदर्भ हेतु योग्य अतिरिक्त कलेक्टर पाली का आदेश दिनांक 22.12.1994 की प्रमाणित प्रति पेश है। योग्य अतिरिक्त कलेक्टर पाली ने अपने उपर वर्णित आदेश दिनांक 22.12.1994 व इस आदरणीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.1994 की पालना हेतु अतिरिक्त तहसीलदार रोहट को पत्र क्रमांक/कोर्ट/97/610 दिनांक 05.04.1997 लिखकर निर्देश दिया कि उक्त आदेशों की पालना कर आवंटी ऊंकार का आवंटन का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भेजें। जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार रोहट अपने आदेश कमांक/राज/97/581 दिनांक 16.06.1997 द्वारा हल्का पटवारी खुटाणी को आदेश दिये, जिसकी पालना में अपीलार्थी ऊंकार को आवंटित वादग्रस्त भूमि का आवंटन पुनः राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद जमाबंदी संवत् 2051 से 2053 में म्यूटेशन संख्या 200 के जरिये किया गया और अपीलार्थी ऊंकार को वादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार दर्ज किया गया। जो इस जमाबंदी पर दर्ज पटवारी के पृष्ठांकन से प्रकट है। अपीलार्थी ने उक्त जमाबंदी संवत् 2051 से 2053 की सत्यप्रति दिनांक 24.07.1997 को प्राप्त कर रेस्पोंडेण्टान के विरूद्ध धारा 183, 88 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत दिनांक 20.11.1997 को वाद पेश किया। वादी अपीलार्थी के वाद के सम्मन रेस्पोंडेण्ट व मृत प्रतिवादी थाना पर विधि अनुसार तामिल हुए और उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते रहे, वकालतनामें पेश किये, परन्तु मृत प्रतिवादी थाना व वर्तमान रेस्पोंडेण्ट में से किसी ने वादोतर पेश नहीं किया और अपीलार्थी के वाद को Contest नहीं किया। वादी अपीलार्थी का वाद Uncontested रहने से वाद बिन्दू कायम नहीं किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य में खुद का शपथ पत्र पेश किया जिस पर विपक्षी ने कोई जिरह नहीं की। वादी ने अपनी साक्ष में गवाह शंकरराम व दीनू खां के बयान कराये जिनसे विपक्षी ने कोई जिरह नहीं की। अतः वादी की सम्पूर्ण साक्ष विखंडित रहीं। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2051 से 2053 में वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी गैर खातेदार दर्ज है तथा उपर दर्ज अनुसार वादग्रस्त भूमि का वादी अपीलार्थी को सन् 1984 में आवंटन किये जाने पर वादी अपीलार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया था और उपर दर्ज अनुसार योग्य जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 08.07.1992 के बाद मृत प्रतिवादी थाना ने सन् 1992 में वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा किया तथा इस आदरणीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.1994 व योग्य अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.12.1994 की पालना में वादग्रस्त भूमि का आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा व राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, तब वादी अपीलार्थी ने प्रतिवादी थानाराम व राजस्थान राज्य के विरूद्ध तारीख 20.11.1997 को वाद पेश किया। इसके अतिरिक्त यह ध्यातव्य है कि जब सिवाय चक भूमि का भूमिहीन काश्तकार को आवंटन का आदेश किया जाता है, तब आवंटित भूमि का आवंटी (allotee) को पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाता है और कब्जा सुपुर्द करने की कोई फर्द नहीं बनायी जाती है, कब्जा सुपुर्दगी की फर्द बनाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। आवंटित भूमि का वादी अपीलार्थी को कब्जा सुपुर्दगी के बाद उसका अमल दरामद करने हेतु उपर दर्ज अनुसार म्यूटेशन नम्बर 121 स्वीकृत किया गया और उसका अमल दरामद जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में किया गया, जो वादग्रस्त भूमि का वादी अपीलार्थी को आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्द करने का विधि व नियमानुसार अपने आप में पूर्ण प्रमाण है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेण्ट नम्बर 02 भूमिधारी राजस्थान सज्य जरिये तहसीलदार का किसी भी स्टेज पर उपर वर्णित किसी भी न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन नहीं रहा कि वादग्रस्त भूमि का वादी अपीलार्थी को आवंटन के पश्चात् उसे कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने arbitrarily एवं whimsically तथा Conjectures के आधार पर निर्णय में फाईडिंग दर्ज किया कि कब्जा सुपुर्द करने सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं करने से संदेह उत्पन्न होता है कि संभवतया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा कभी नहीं रहा। साथ ही योग्य अधीन न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्टतः अंकन किया है कि वादी अपीलार्थी ने जमाबंदी सवंत 2051 से 2053 प्रदर्श– 1 व गिरदावरी संवत् 2053 प्रदर्श–2 पेश की व वादी वर्तमान रेकर्ड में आज भी अपीलार्थी गैर खातेदार के रूप में अंकित है। अतः आवंटन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी अपीलार्थी को सुपुर्द करना साबित नहीं मानकर वाद खारिज करने में योग्य अधीन न्यायालय ने तथ्यों व विधि की भूल की है। वादी अपीलार्थी का स्पष्ट कथन है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् किसी भी अन्य न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश (वस्तुतः निर्णय) तथ्यों व विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट ओंकार द्वारा ग्राम मुरडिया के खसरा संख्या 18 रकबा 7–15 बिस्वा भूमि 1984 में वादी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित होने, आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को सुपुर्द कर देने व तत्पश्चात आवंटी वादी के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर पाली में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अंतर्गत कार्यवाही होकर आवंटन खारिज कर देने से भू–अभिलेख से वादी आवंटी का नाम विलोपित कर सिवायचक दर्ज कर देने, इसी दरम्यान प्रतिवादी 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने, जिला कलक्टर पाली के निर्णय दिनांक 08.07.1992 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर तत्पश्चात न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 30.04.1994 द्वारा वादी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर पाली के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर देने एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा नियम 14 (4) का प्रार्थना पत्र खारिज कर वादी आवंटी का आवंटन बहाल कर देने से भू–अभिलेख में वादी का नाम पुनः गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर गैर कानूनी रूप से काबिज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा दिलाने, खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 राजस्थान सरकार से जवाबदावा प्राप्त नहीं किया गया। जबकि वादपत्र में आवंटी वादी जोकि गैर खातेदार है, द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई हैं। अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिससे जवाबदावा लिया जाना चाहिए था। जो नहीं लेकर विचारण न्यायालय द्वारा भूल की हैं।

4. विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधित विधिक प्रावधानों का वादी अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष एवं पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं करते हुए एक नॉन–स्पीकिंग आदेश के रूप में प्रकरण निर्णित व डिक्री किया है। जो किसी भी दृष्टि से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं होने के कारण व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप निर्णित करने के लिए विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2010 बअनवान ओंकार बनाम थानाराम के कायम मुकाम मोहन वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2011 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वांछित अनुतोष का संगत विधिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विवेचन करते हुए आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का पूर्णतया अनुशीलन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner